

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1570

दिनांक 23/11/2021

प्रार्थी :-

1.चेतनराम पुत्र लाखा
जाति जाट, निवासी जैसार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.भगाराम 2.केशा 3.पेमा 4.अलसा पि.रामा 5.ताजा
पुत्र मगा 6.सवाई 7.माना 8.ईशरा 9.गंगा पि.पदमा
10.जीया 11.अर्जुन पि.लाखा 12.मोती 13.लाधु
14.पूनमा 15.कुम्भा 16.लिखमा पि.प्रभू 17.सवाई पुत्र
नारणा, जातियान जाट, 18.ठालू पुत्र लूणा 19.दला
पुत्र सोना 20.सवाई 21.सरूपा पि.देवा
जातियान मेघवाल, निवासी जैसार, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 21/2021

दिनांक : 23.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जैसार के खेत खसरा सं. 377/27 रकबा 22.07 बीघा, खसरा सं. 375/20 रकबा 08.16 बीघा, खसरा सं. 384/23 रकबा 00.15 बीघा, खसरा सं. 383/23 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 392/164 रकबा 09.03 बीघा, खसरा सं. 389/164 रकबा 34.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू किसी स्थाई/मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1571 to 1574

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी चेतनराम
3. विप्रार्थीगण भगाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन o/c

दिनांक 23/11/2021



उपखण्ड अधिकारी

चौहटन
उपखण्ड अधिकारी

चौहटन